

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 113 / प्र0अ0(त0स0-2) / जोन-1 / मु0हा0 / 2015-16 दिनांक 15 / 2016

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास मानचित्र (With F.A.R) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असार पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री शरद कुमार वार्षनी एवं श्री मनोज कुमार वार्षनी पुत्रगण स्व0 सुशील कुमार वार्षनी द्वारा नजूल फी होल्ड भूखण्ड संख्या-113D सिविल स्टेशन, थार्नहिल रोड इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अन्तर्गत समूह आवास (With F.A.R) भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक 07-05-2016 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 11 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन किचेन, बाथरूम में अनिवार्य रूप से किया जाय।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
8. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
9. राष्ट्रहित में परिसर की स्ट्रीट लाईट सोलर पैनल द्वारा प्रज्वलित किया जाय।
10. उप निदेशक तकनीकी फॉयर्स सर्विस इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2016 / 20010 / इला0 / 187 / डीडी दिनांक 21.03.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

11. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 954/STCE/16 दिनांक 04.02.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरक्षः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
12. मुख्य अभियन्ता-विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 1336/मु0अ0/इ0क्ष0/पी-2 दिनांक 09.03.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरक्षः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
13. बहुमंजिले भवन का निर्माण स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानकों पर ही किया जाना आवश्यक है। निर्माण की गुणवत्ता एवं संरचना का सम्पूर्ण दायित्व निर्माण/विकासकर्ता का होगा।
14. प्रस्तुत समूह आवास मानचित्र बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट पर पार्किंग तथा स्टिल्ट के ही आंशिक भाग में मटेरियल स्टोर, प्रथम से ग्यारवें तल तक प्रत्येक तल पर 2-2 आवासीय इकाई इस प्रकार कुल 22 आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति हेतु है, अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
15. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत व्ययानुमान में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
16. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
17. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
18. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
19. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
20. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
21. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
22. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
23. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी





WATER SERVICE

SEWER SERVICE

ELECTRIC SERVICE

THORNHILL ROAD

EXISTING UTILITIES

NOTE:
EXISTING UTILITIES
TO BE PROTECTED
AND NOT TO BE
DISTURBED

MINIMUM ROAD WIDTH
CALCULATED IN THE FIELD DATA
- 20' TO 25' ON THE RIGHT

ELECTRIC LINE
CENTERLINE OF THE ROAD USE OF
THORNHILL ROAD



PROPOSED GRASSY BUFFER PLANTING

THESE UTILITIES ARE TO BE PROTECTED
AND NOT TO BE DISTURBED

MAINTENANCE SCHEDULE	
ITEM	PERIOD
1. All utility lines	12 months
2. All electrical equipment	12 months
3. All mechanical equipment	12 months
4. All plumbing equipment	12 months
5. All fire alarm equipment	12 months
6. All fire extinguishers	12 months
7. All fire escape equipment	12 months
8. All fire alarm control panel	12 months
9. All fire alarm pull stations	12 months
10. All fire alarm sounders	12 months
11. All fire alarm horns	12 months
12. All fire alarm bells	12 months
13. All fire alarm sirens	12 months
14. All fire alarm strobes	12 months
15. All fire alarm horns	12 months
16. All fire alarm bells	12 months
17. All fire alarm sirens	12 months
18. All fire alarm strobes	12 months
19. All fire alarm horns	12 months
20. All fire alarm bells	12 months
21. All fire alarm sirens	12 months
22. All fire alarm strobes	12 months
23. All fire alarm horns	12 months
24. All fire alarm bells	12 months
25. All fire alarm sirens	12 months
26. All fire alarm strobes	12 months
27. All fire alarm horns	12 months
28. All fire alarm bells	12 months
29. All fire alarm sirens	12 months
30. All fire alarm strobes	12 months

DATE: 10/15/2010
 DRAWN BY: [Signature]
 CHECKED BY: [Signature]
 PROJECT NO: 10-001

SCALE: AS SHOWN
 SHEET NO. 1 OF 1



Room	Area (sq. m)	Volume (cu. m)
Living Room	15.00	45.00
Bedroom	12.00	36.00
Bathroom	5.00	15.00
Kitchen	8.00	24.00
Hallway	3.00	9.00
Staircase	2.00	6.00
Storage	1.00	3.00
Other	1.00	3.00
Total	57.00	171.00

Room	Area (sq. m)	Volume (cu. m)
Living Room	15.00	45.00
Bedroom	12.00	36.00
Bathroom	5.00	15.00
Kitchen	8.00	24.00
Hallway	3.00	9.00
Staircase	2.00	6.00
Storage	1.00	3.00
Other	1.00	3.00
Total	57.00	171.00

Room	Area (sq. m)	Volume (cu. m)
Living Room	15.00	45.00
Bedroom	12.00	36.00
Bathroom	5.00	15.00
Kitchen	8.00	24.00
Hallway	3.00	9.00
Staircase	2.00	6.00
Storage	1.00	3.00
Other	1.00	3.00
Total	57.00	171.00


Notes: 1. All dimensions are in meters. 2. The total area of the building is 171.00 sq. m. 3. The total volume of the building is 513.00 cu. m.

Legend: 1. Living Room 2. Bedroom 3. Bathroom 4. Kitchen 5. Hallway 6. Staircase 7. Storage 8. Other

Scale: 1:100



APPLIED SCIENCE



1. The drawing shows the layout of the building, including the main entrance, corridors, and rooms. The drawing is oriented vertically on the page.

2. The drawing shows the layout of the building, including the main entrance, corridors, and rooms. The drawing is oriented vertically on the page.

3. The drawing shows the layout of the building, including the main entrance, corridors, and rooms. The drawing is oriented vertically on the page.

1:100

Sheet No. 05

Project Name: [Illegible]

Scale: [Illegible]

Date: [Illegible]

Drawn by: [Illegible]

Checked by: [Illegible]

Approved by: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]


[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]




SOUTH SIDE ELEVATION



Scale: [Illegible]

Date: [Illegible]

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCHOOL OF ARCHITECTURE
ARCHITECTURAL DRAWING



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCHOOL OF ARCHITECTURE
ARCHITECTURAL DRAWING



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCHOOL OF ARCHITECTURE
ARCHITECTURAL DRAWING

74

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SCHOOL OF ARCHITECTURE
ARCHITECTURAL DRAWING